IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में मानवाधिकारों का हनन–कारण एवं निवारण

डॉ. गरिमा शर्मा
व्याख्याता
हरिभाउ उपाध्याय महिला षिक्षक महाविद्यालय
हटूण्डी, अजमेर, राजस्थान।

सारांश : रू मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जो उसकी गरिमा, स्वतंत्रता एवं समानता की रक्षा करते हैं। भारत में एक लोकतांत्रिक देष होने के बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ निरंतर सामने आती रहती हैं। इस शोध पत्र में भारत में मानवाधिकार हनन के प्रमुख स्वरूपों, इनके कारणों तथा प्रभावों का विष्लेषण किया गया है। साथ ही, इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रभावी निवारण, उपायों का सुझाव दिया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि षिक्षा, कानून का सख़्त क्रियान्वयन तथा सामाजिक जागरूकता मानवाधिकार संरक्षण के लिए अत्यंत आवष्यक है।
तकनीकी शब्दावली : मानवाधिकार, मानवाधिकार हनन, सामाजिक असमानता, कानून प्रवर्तन, बाल श्रम, महिला हिंसा, गरीबी, भारत।

मनुष्य की अंतःनिहित शक्तियों के विकास से ही मनुष्य का विकास सम्भव है। इन शक्तियों के विकास के लिये मनुष्य समाज के समक्ष कुछ माँगें रखता है। ये माँगें स्वार्थपूर्ण, कुछ सार्वजनिक कल्याण के हित में तथा कुछ तटस्थ हो सकती हैं। समाज उन माँगों को प्राय स्वीकार कर लेता है जो सामाजिक होती हैं। और जो मनुष्य के व्यक्तिगत व सामूहिक कल्याण को सुनिष्चित करती है। समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी माँगों को अधिकार कहते है।

अधिकार को परिभाषित करते हुए **आर.जे. विन्सेट** कहते हैं कि ''मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।''[1] इसी प्रकार **प्लानां** तथा **ओल्टन** कहते हैं कि ''मानव अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के जीवन में उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिये अनिवार्य हैं।[2]

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 (1) (घ) के अनुसार ''मानव अधिकार में मानविकी स्वतन्त्रता, समानता और गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकार अभिप्रेत है जो संविधान द्वारा प्रर्वतनीय है।''[3]

अतः कहा जा सकता है कि अधिकारों से तात्पर्य उन नियमों से है, जिनमें निम्न तत्व सम्मिलित हो–

- वे नियम जिन्हें सामाजिक स्वीकृति मिली हो।
- जिससे व्यक्ति व समाज दोनों का ही कल्याण होता हो।
- वे नियम जिनको राज्य का संरक्षण प्राप्त हो।
- वे नियम जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रदान किये गये हो।
- वे निष्चित नियम जिनमें प्रत्येक व्यक्ति की पृथक्–पृथक् मांगें नहीं हो।

वस्तुतः अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा रक्षित वे सुविधाएँ हैं जो मानव को बिना भेद–भाव के समान रूप से प्रदान की गई है तथा जिनके द्वारा व्यक्ति अपने विकास के साथ–साथ समाज का भी कल्याण करता है।

व्यक्ति के पूर्ण नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिये यह अधिकार अत्यन्त आवष्यक है इनके अभाव में व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध हो जायेगा, इसलियें लोकतन्त्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्रदान किये जाते है।

भारत में वैदिक कालीन ग्रन्थों में भी धर्म की अवधारणा में ही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानवाधिकार की चर्चा की गयी है। ऋग्वेद संहिता में राजा एवं प्रजा के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

प्राचीन भारत में अधिकारों की बात करें तो स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार था।[4] कन्या का विवाह उसकी इच्छा से होता था अर्थात् विवाह विष्यक अधिकार प्राप्त थे। विवाह पश्चात् वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा गया है –

साम्राज्ञी श्वसुरेभव साम्राज्ञी स्वश्रुवां भव।
ननान्दरि साम्राज्ञीं भव साम्राज्ञी अधिदेवृषु।।[5]

पत्नी के रूप में स्त्री धार्मिक कृत्य करने की भी अधिकरिणी थी। वह अपने पति के साथ मिलकर धार्मिक कार्यों का भी सम्पादन करती थी।[6] स्त्री को आर्थिक अधिकार भी प्राप्त थे। वह पति की सम्पत्ति में अधिकारिणी होती थी।

ऋग्वेद में वृत्ति की स्वतन्त्रता के प्रमाण भी मिलते है। एक ही परिवार के सदस्यों के भिन्न–भिन्न कार्यों का भी वर्णन प्राप्त होता है। जैसे जहाँ **शान्तनु** ने राज्यभार संभाला वही **देवापि** ने राज्य में अकाल पड़ने पर पुरोहित बनकर यज्ञ सम्पन्न किया था।[7]

उत्तर वैदिक काल में समानता की दृष्टि से चारों वर्णों के धार्मिक एवं सामाजिक अधिकारों तथा कर्त्तव्यों में परस्पर भिन्नता दिखाई देती है समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य तथा शुद्रों को बुलाने के तरीके भी भिन्न–भिन्न थे। शुद्रों पर कुछ धार्मिक प्रतिबन्ध भी थे जिसमें वे यज्ञ से बहिष्कृत थे।[8] उनके लिये यज्ञाग्नि अस्पृष्य थी।[9] इसीलिये शुद्रों को अयज्ञीय कहा जाता था।[10] परन्तु गुणों के आधार पर शुद्र भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता था। कौषितकी ब्राह्मण के अनुसार शुद्र जबला के पुत्र जाबालि को ब्राह्मणोचित गुणों के आधार पर ब्राह्मण कहा गया।[11] शुद्रों को वैदिक क्रिया संस्कार करने का अधिकार था।[12] शुद्रों को पाकयज्ञ[13] एवं महायज्ञ[14] करने का अधिकार भी था। शुद्र को सम्पत्ति रखने का अधिकार भी था।

स्त्री षिक्षा की अधिकारिणी थी। पाणिनि ने तो महिला षिक्षणषाला का भी उल्लेख किया है। **'छान्यादयः शालायाम्'**[15] इसमें केवल स्त्रियाँ ही षिक्षा ग्रहण करती थीं। पाणिनि ने पत्नी शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए बताया है – **'पत्युर्नो यज्ञसंयोगे'**[16] अर्थात् उसी को पत्नी कहा जाता है जो यज्ञ तथा यज्ञ करने के फल की भागी होती है।

उक्त विमर्ष से यह तो स्पष्ट होता है कि वैदिक काल एवं उत्तरवैदिक काल के समाज में मानवाधिकारों में त्रुटि अथवा व्याधि इतनी विकट नहीं थी। समाज में मानवाधिकारों का हनन इस युग के पश्चात् प्रारम्भ होता है। जो वर्तमान भारतीय समाज में भी दृष्टिगोचर होता है। इसके प्रारम्भ को देखे तो रामायण काल से ही इसके बीज हमें प्राप्त होते हैं। जो कि महाभारत काल तक एक विषालकाय वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। महाभारत काल में ऐसे अनेकों उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें मानवाधिकारों के हनन का चित्र स्पष्ट दिखाई देता है। इस काल की कुछ घटनाओं को हम बिन्दुववार इस प्रकार रख सकते हैं–

- भीष्म द्वारा स्वयंवर से काषिराज की कन्याओं का अपहरण।
- दुर्योधन द्वारा स्वयंवर से कलिंगराज पुत्री का अपहरण।
- जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के अपहरण का प्रयास।
- कीचक द्वारा सैरन्ध्री (दौपदी) का अपमान।
- महाराजा गाधि का शुल्क लेकर अपनी कन्या का विवाह करना।
- राजा ययाति द्वारा गालव मुनि को अपनी कन्या वस्तु के रूप में देना।
- गुरू द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को षिक्षा प्रदान करने से मना कर देना।
- दुर्योधन द्वारा पाण्डवों को मारने के लिये पुरोचन का लाक्षागृह बनाने की आज्ञा देना।
- गन्धर्वराज विष्वासु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। उस नवजात–कन्या को निर्दय और निर्लज्ज मेनका स्थूलकेष ऋषि के आश्रम के निकट स्थित नदी के तट पर छोड़कर चली गई।
- कंस द्वारा देवकी के बच्चों का वध।
- कुन्ती द्वारा कर्ण को जल में बहा देना।
- महाराजा शान्तनु की पत्नी गंगा द्वारा अपने सात पुत्रों को पानी में बहा देना।
- छल से अभिमन्यु का वध किया जाना।
- अष्वत्थामा द्वारा सोते हुए पाण्डव पुत्रों का छल से वध।

इस प्रकार महाभारत काल में उक्त घटनाऐं सामाजिक व्यवस्था को कलंकित करते हुई दृष्टिगोचर होती हैं।

रामायण एवं महाभारत में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ व्यक्ति के अधिकारों का हनन हुआ है और उक्त समस्याऐं वर्तमान भारतीय समाज में भी दृष्टिगोचर है। कारण यह है कि भारत में सषक्त न्यायपालिका, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आदि सरकारी संस्थाएँ विद्यमान है, जो मानवाधिकारों के आर्थिक और सामाजिक पक्ष की प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत है, किन्तु इसके दोषपूर्ण कार्यान्वयन से मानवाधिकार हनन की घटनाएँ आम बन गई हैं।

भारत में अस्पृष्यता विद्यमान है, बंधुआ मजदूरी विद्यमान है बाल–श्रमिकों से काम कराया जा रहा हैं तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, पुलिस की बर्बरता जारी है। भारत में पुलिस की छवि आम जनता के मनो–मस्तिष्क में अत्यन्त विकृत रूप में है। आज भारत में मानवाधिकार के हनन के विभिन्न रूप विद्यमान है। चोरी, अपहरण, हत्या, अपमान, वेष्यावृत्ति, आतंकवाद, बलात्कार, जातीय व भाषाई तनाव यह सभी मानसिक विकृति, कुण्ठा और स्वार्थ के परिणाम स्वरूप है।[17] इन समस्याओं को समाप्त करने और एक आदर्ष समाज की स्थापना हेतु न्याय व्यवस्था को अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका में आना होगा। साथ ही संक्षेप में मानवाधिकारों के हनन को रोकन हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है :–

- व्यापक, घोर गरीबी मानवाधिकारों की पूर्ण तथा प्रभावी अभिप्राप्ति का मार्ग अवरूद्ध करती है। इसका शीघ्र निराकरण तथा परिणाम जन्म समाप्ति राष्ट्रीय समुदाय के लिये उच्च प्राथमिकता के विषय होने चाहिए।[18]
- सभी प्रकार के जातिवाद तथा जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, क्षेत्रियता द्रोह तथा सम्बन्धित असहिष्णुता का तत्पर तथा व्यापक निराकरण राष्ट्रीय समुदाय के लिए प्राथमिक कार्य होना चाहिये। सरकार को इसे रोकने तथा इस पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।[19]
- सभी आयामों में आतंकवाद एवं साथ ही नषीले पदार्थों की तस्करी में कुछ देषों की संलिप्तता तथा व्यवहार ऐसी गतिविधियाँ हैं जो मानवाधिकार तथा प्रजातंत्र के विनाष का उद्देष्य लेकर चलती है। क्षेत्रगत अखण्डता देष की सुरक्षा के प्रति गम्भीर चुनौति है इसीलिये सरकार को आतंकवाद पर काबू पाने व इसको रोकने के लिये बड़े प्रयास करने चाहिए।[20]
- लिंग आधारित हिंसा तथा यौन सम्बन्ध शोषण तथा उत्पीड़न अपने सभी स्वरूपों में समाप्त होना चाहिए।[21]
- सरकार को महिला शोषण पर कड़े कानूनों का निर्माण कर उनका कड़ाई से पालन करवाना चाहिए। महिलाओं के प्रति हिंसा के निराकरण के प्रति सभी प्रकार के यौन शोषण, यौन उत्पीडन तथा महिला के साथ लिंग भेदभाव आदि पर कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।[22]

सरकार को राष्ट्रीय योजना द्वारा चहुमुखी प्रयासों से षिषु तथा मातृत्व मृत्यु दरों को घटाने, कुपोषण तथा अषिक्षा दरों को कम करने, बेकारी व बेरोजगारी को कम करने, युवाओं में उभरी मानसिक विकृति एवं कुण्ठा से ग्रसित होकर असामाजिक कार्य में लिप्त हो जाने आदि पर समय–समय पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करवाकर विद्वानों के सुझावों को स्वीकार कर प्रभावपूर्ण नियम बनाने चाहिये जिससे मानवतावाद विरोधी सभी व्याधियों का उचित उपचार कर, समाज को निरोगी एवं स्वस्थ बनाया जा सके।

वर्तमान न्याय प्रणाली को इतना सबल और न्यायपूर्ण होना पड़ेगा कि जिससे समाज में फिर कभी सीता, द्रौपदी और वेदवती जैसी असामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राज्य मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाऐं ऐसी घटनाओं से पीड़ितों को न्याय प्रदान करें, जिससे एक सभ्य समाज की स्थापना हो।

सन्दर्भ सूची

1. भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठन, कार्य और भावी परिदृष्य– अरूण रॉय, पृष्ठ सं. 11
2. मानवाधिकार नई दिषाएँ राष्ट्रीय मानव अधिकार की पत्रिका– पृष्ठ सं. 121, वर्ष 2007, अंक–4, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
3. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 1
4. ऋग्वेद / 1 / 112 / 10,116 / 15,118
5. ऋग्वेद / 10 / 85 / 46
6. ऋग्वेद / 1 / 72 / 5
7. ऋग्वेद / 9 / 112 / 3

8. तैत्तिरिय ब्राह्मण / 3 / 2 / 3 / 9
9. शतपथ ब्राह्मण / 6 / 4 / 4 / 9
10. शतपथ ब्राह्मण / 3 / 1 / 1 / 10
11. कौषितकी ब्राह्मण / 12 / 3
12. शतपथ ब्राह्मण / 2 / 9
13. मनुस्मृति / 11 / 126
14. मनुस्मृति / 10 / 127
15. पाणिनी अष्टाध्यायी / 6 / 2 / 86
16. पाणिनी अष्टाध्यायी / 4 / 1 / 33
17. मानवाधिकार, नई दिषाएँ, वार्षिक अंक – 12, 2015 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत। पृ.सं. 91
18. पत्रिका, वियना घोषणा तथा गतिविध कार्यक्रम, मानवाधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी, 25 जून, 1993. पृ.सं. 79
19. वही. पृ.सं. 81
20. च्ण्क्ण् डंजीमूए रूं वित जीम च्तवजमबजपवद व िीनउंद तपहीजे पद प्दकपंए स्महंस स्पजमतंतल `मतपमे छवण् 38ण् प्दकपंद`वबपंस प्देजपजनजम छमू क्मसीपए 2006ए च.16
21. मानवाधिकार, नई दिषाएँ, वार्षिक अंक – 12, 2015 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत। पृ.सं. 297
22. वही. पृ.सं. 299